छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
// अधिसूचना //

नवा रायपुर दिनांक 17 दिसम्बर, 2020

क्रमांक एफ 20–65/2019/11/6:– राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका–15.1 की तालिका के बिन्दु क्रमांक–15 तथा बिन्दु क्र–15.6 एवं परिशिष्ट (6.15) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग एवं स्टार्टअप इकाईयों की श्रेणियों में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करने, निर्यात एवं पर्यावरण संरक्षण पर किये गये कार्य को महत्ता प्रदान करने, औद्योगिक विकास की प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 नवम्बर, 2019 से प्रभावशील **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2019"** लागू करता है ।

1– **शीर्षक :–**

(1) इस योजना का नाम "छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2019" होगा।

(2) यह नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01 नवंबर, 2019 से प्रभावशील होंगे ।

2– **परिभाषा :–**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो **"सूक्ष्म एवं लघु उद्योग"** से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो औद्योगिक नीति 2019–24 में राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को पारिभाषित करने हेतु जारी की गयी हों के अनुरूप होंगी साथ ही इस आशय के लिए संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इस हेतु जारी वैध प्रमाण पत्र धारित करती हों ।

इस योजना के संदर्भ में आवश्यक सभी परिभाषाएं औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 में वर्णित अनुसार ग्राह्यता योग्य होंगी।

3– **पात्रता :–**

3.1 इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार क्षेत्रों में पुरस्कार दिये जावेंगे :–

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग
5. स्टार्टअप इकाईयां

3.2 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं महिला उद्यमियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों में मात्र संबंधित वर्ग के उद्यमी ही भाग ले सकेंगे ।

3.3 किसी भी उद्योग को संबंधित वर्ष में केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता होगी

3.4 किसी एक वित्तीय वर्ष में औद्योगिक पुरस्कार प्राप्त उद्योग को आगामी वर्षों में उसी श्रेणी में औद्योगिक पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

3.5 पुरस्कार हेतु उद्योग को न्यूनतम 02 वर्ष तक उत्पादन में रहना अनिवार्य होगा ।

3.6 इस नीति के अंतर्गत परिशिष्ट–4 में वर्णित अपात्र/संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को पुरस्कारों की पात्रता नहीं होगी ।

4– पुरस्कार का स्वरूपः–

"छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2019" के अन्तर्गत उपरोक्त सभी पुरस्कारों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक नीति की अवधि में प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जावेगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि रू. 1,51,000/–, द्वितीय पुरस्कार की राशि रू. 1,00,000/– एवं तृतीय पुरस्कार की राशि रू. 51,000/– होगी। पुरस्कार के साथ इकाई को प्रशस्ति–पत्र भी दिया जायेगा।

5– इन नियमों के तहत् **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2019"** के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति से है, जो कि निम्नानुसार होगी :–

(1)	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	:	अध्यक्ष
(2)	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर के आंचलिक कार्यालय के प्रमुख	:	सदस्य
(3)	प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर ।	:	सदस्य
(4)	निदेशक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान, रायपुर	:	सदस्य
(5)	अध्यक्ष, कान्फिडिरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज अथवा उनके सदस्य द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	:	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ अथवा उनक नामांकित प्रतिनिधि	:	सदस्य
(7)	आयुक्त, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित हो	:	सदस्य
(8)	आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़	:	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि उपरोक्त पुरस्कारों हेतु किन्ही 02 व्यक्तियों, जो वित्त, औद्योगिक प्रबंधन व अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हों, को सदस्य के रूप में मनोनीत करें ।

6– चयन के मापदण्ड :–

<u>मापदण्ड के बिंदु</u>

(1) वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन का अनुपात
(2) निवेश पर लाभ का प्रतिशत
(3) उच्च प्रौद्योगिकी प्रयोग एवं यंत्र संयंत्र रखरखाव

(4) गुणवत्ता नियंत्रण एवं उत्पाद विकास
(5) निर्यात और आयात स्थानापन्न
(6) उद्यम का प्रबंधन
(7) कर्मचारी कल्याण
(8) स्थानीयध्भू–अर्जन से प्रभावित परिवारों को रोजगार
(9) पर्यावरण संरक्षण
(10) राज्य के मूल निवासियों को रोजगार संबंधी नियमों का पालन
(11) प्लांट में सुरक्षा हेतु किये गये उपाय
(12) उपभोक्ता संरक्षण हेतु किये गये उपाय
(13) रिस्क फेक्टर
(14) राज्य के लिये नवीन उद्योग

"राज्य स्तरीय समिति" पुरस्कार हेतु उपरोक्त आधार पर पुरस्कार हेतु मापदण्ड का निर्धारण करेगी ।

7— चयन प्रक्रिया :—

(1) उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारण कर राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर सामान्यतः प्रतिवर्ष पुरस्कार हेतु दिनांक 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे तथा यथासंभव प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर माह में प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिवर्ष नवंबर माह उपयुक्त समय तथा तिथि का निर्धारण कर इसकी घोषणा की जावेगी। आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सहमति से अपरिहार्य स्थितियों में यथाआवश्यकता समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(2) पुरस्कार हेतु उद्योगों द्वारा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन आवश्यक सहपत्रों सहित दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा, जिसकी एक प्रति आवश्यक जांच पश्चात् संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अभिमत सहित उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जावेगी।

(3) उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन–पत्र राज्य स्तरीय समिति के समक्ष पुरस्कार हेतु चयन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रतिभागियों में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा। यदि समिति आवश्यक समझे तो किसी प्रतिभागी/ प्रतिभागियों से या उसके संबंध में किसी अन्य स्त्रोत से यथा आवश्यकता दावे की पुष्टि के संबंध में अतिरिक्त, जानकारी प्राप्त कर सकेगी/स्थल निरीक्षण भी करा सकेगी।

8— पुरस्कार की घोषणा :—

राज्य स्तरीय समिति, चयनित उद्योगों का नाम, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगी। प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत चयनित उद्योगों की घोषणा छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग करेगा ।

9– **पुरस्कार वितरण :–**

पुरस्कार का वितरण यथा आवश्यक समारोह के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से किया जा सकेगा। पुरस्कार स्वरूप निर्धारित राशि तथा प्रशस्ति–पत्र दिया जावेगा। समारोह के आयोजन की स्थिति में संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अथवा विभाग द्वारा निर्देशित अनुसार की जावेगी।

10– **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :–**

यथा आवश्यकता राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को इस पुरस्कार नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान एवं ऐसे आवश्यक विषय जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के संबंध में निर्णय, मार्गदर्शन का अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को होगा ।

11– नियमों की व्याख्या, छूट या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

12– वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक .कम्प्यूटर. एफ 773 / ब–5 / 2020 दिनांक 09 / 11 / 2020 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

–औद्योगिक पुरस्कार योजना –

निम्नांकित श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि क्रमशः रूपये 1,51,000, 1,00,000 एवं 51,000 एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा –

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन हेतु
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग
5. स्टार्टअप इकाईयां

टीप – दिये जाने वाले पुरस्कार उन उद्योगों हेतु नहीं होगे जो राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में अपात्र/संतृप्त उद्योगों की श्रेणी में हो